(1) वाद/प्रार्थना पत्र पर कोर्ट फीस पूर्ण चस्पां है।
(2) वकालतनामा संलग्न है।
(3) वादिका/प्रार्थी सशरीर अदालत हाजा है।
(4) शपथपत्र संलग्न है/नहीं है।

आदेशार्थ प्रस्तुत है
3/4/18

SDO

उपखण्ड अधिकारी
मुकीमपुर
मालाखेड़ा

3/4/18

3-4-18

आज काफी कम वकील उपस्थित होने
एक डाक - मामला हाजा में प्रस्तुत
किया गया। डाक उर्जा राशि वाले
प्रतिवादी को तलबी भेजी है।
बाद तामील पत्रावली दिनांक
14/6/18 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

8-5-18

आज पत्रावली - मामला आमदे तारीख 2018
के सम्बन्ध कोर्ट कार्यवाही में न होकर
पाठे उमज काटे के उपरान्त कहा
कि हम पत्रकारों के लिए राजस्थान RTI अधिनियम
होगया है काट को आगे रहे फैसला
चाहते हैं Nat press के कार्यालय
वाट लिया काटी अन्य वाट काटी
Nat press कार्यालय के कार्यालय
है पत्रावली उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा
उपस्थित है

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

आदेश
1/4/18